NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 280 /NCRES/19 Date : 28.10.2019

श्रीमान महाप्रबन्धक (कार्मिक)
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषयः— नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में इन्जीनियरिंग गेटमैन को सप्ताह में दो रेस्ट देने हेतु।

संदर्भः— NCRES पी.एन.एम. मद संख्या 26 / 2013

महोदय,

अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में इन्जीनियरिंग गेटों पर कार्यरत गेटमैनों से HOER के तहत EI रास्टर से प्रतिदिन 12 घन्टे डियूटी तो करायी जा रही है परन्तु खेद का विषय है कि जिन कर्मचारियों के पास 0.5 कि.मी. के अन्दर रेलवे आवास उपलब्ध नही है उन्हे सप्ताह में दो रेस्ट के बजाय एक रेस्ट ही दिया जा रहा, जबकि रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार HOER रास्टर के तहत EI रास्टर के कर्मचारियों को जिन्हे रेलवे आवास आवंटित नही किया गया है उन्हे सप्ताह में दो रेस्ट दिया जाना चाहिये।

महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि NCRES के पी.एन.एम. मद संख्या 26 / 2013 में आदेश हुआ है कि आपरेटिंग विभाग के कर्मचारी जिनके पास 0.5 कि.मी. के अन्दर रेलवे आवास नही है और 12 घन्टे डयूटी कराया जाता है तो सप्ताह में दो रेस्ट दिया जाय।

अतः NCRES की मांग है कि आपरेटिंग विभाग के कर्मचारियों के समान EI रास्टर में कार्यरत इन्जीनियरिंग गेटमैनों को जिनके पास कार्यस्थल से 0.5 कि.मी. की परिधि में रेलवे आवास उपलब्ध नही है, उन्हे सप्ताह में एक की बजाय दो रेस्ट दिया जाय अथवा उन्हे ओवर टाइम का भुगतान्न किया जाय।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री